कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज0)

राष्ट्रीय मेला दशहरा 2024 के अवसर पर निशक्तजन एवं वृद्धावस्था आमजन के लिए ई–रिक्शा मय चालक हेतु E.O.I. की सामान्य शर्तें :–

1. नगर निगम कोटा दक्षिण में आवश्यकतानुसार ई–रिक्शा की आवश्यकता होगी। यह संख्या आवश्यकतानुसार घटाई एंव बढाई जा सकती है।
2. आवेदक द्वारा लिफाफे पर फर्म/वाहन मालिक का नाम, पता, EOI सूचना आदि अंकित कर लिफाफे के अन्दर डी.डी. एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने होगें।
3. ई–रिक्शा को लगाने से पूर्व वाहन चालक के सभी दस्तावेज यथा ड्राईविंग लाईसेन्स, वाहन की स्थिति आदि की जांच करवाकर दस्तावेज निगम में जमा कराने होगें। वाहन उपापन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर ही लगाया जावेगा।
4. आवेदक द्वारा निगम में लगाया गया ई–रिक्शा मेला प्रारम्भ से मेला समाप्ति तक निगम में वाहन चालक सहित उपलब्ध रहेगा।
5. वाहन चालक वाहन प्रयोग के समय किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। उच्चाधिकारियों द्वारा ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर ई–रिक्शा आपूर्ति का कार्य बन्द करना होगा।
6. निगम द्वारा एक से अधिक आवेदक से वाहन उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
7. ई–रिक्शा के लिए वाहन चालक एवं मरम्मत के कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
8. आवेदक द्वारा उपलब्ध ई–रिक्शा से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। ट्रेफिक नियमों की अवहेलना करने पर किसी भी तरह से चालान के लिये संवेदक/वाहन चालक जिम्मेदार होगा।
9. चालक ई–रिक्शा के संचालन हेतु दक्ष एवं प्रशिक्षित तथा उपयुक्त श्रेणी का वैद्य लाईसेन्सधारी होना आवश्यक है। किसी भी तरह की शासकीय या आर्थिक हानि के निविदादाता जिम्मेदार होगा।
10. कार्य समय में कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना/दुर्घटना से जनसाधारण या श्रमिकों के घायल होने/मृत्यु होने आदि पर सभी प्रकार का उत्तदायित्व आवेदक को होगा। नगर निगम की किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विधिक या अन्य रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।
11. मेला परिसर में एक निश्चित चिन्हित स्थान पर वाहन लाईन बध तरीके से पार्क करने होगें।
12. नगर निगम द्वारा मेला परिसर में ई–रिक्शा संचालन हेतु वाहन पास (स्टीकर) उपलब्ध करवाए जाएगें। जिसे ई–रिक्शा पर लगाना होगा।
13. एक ई–रिक्शा में एक बार में 02 ही व्यक्ति (सवारी) से अधिक नहीं बैठाए जाएगें। ई–रिक्शा चालक द्वारा प्रति व्यक्ति (सवारी) द्वारा 100/– रू0 से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। 04 व्यक्ति (सवारी) बढ़ाने पर प्रति व्यक्ति (सवारी) 50/– रू0 से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

14. ई–रिक्शा पर 60 वर्ष से अधिक एवं दिव्यांगजन, निशक्तजन जो कि चलने या फिरने में असमर्थ है। उन को ही घुमाया जाएगा।

15. ई–रिक्शा वाहन चालक द्वारा एक चक्कर (ट्रिप या फेरे) न्यूनतम 01 घण्टे की अवधि की होगी।

16. ई–रिक्शा सम्पूर्ण मेला परिसर में अधिक गति से नहीं चलाया जाएगा एवं रिक्शा सम्पूर्ण परिसर में बिना किसी सवारी के ईधर–उधर नहीं जाएगा निर्धारित रूट पर ई–रिक्शा चलाया जाएगा।

17. वाहन चालक मय वर्दी मय ड्राईविंग लाईसेन्स मय आधार कार्ड एवं मोबाईल नं. सहित रहेगा।

18. ई–रिक्शा वाहन चालक द्वारा समस्त दस्तावेज नगर निगम कोटा दक्षिण में मेला दशहरा प्रारम्भ पूर्व जमा करवाने होगें।

19. नगर निगम कोटा दक्षिण EOI को स्वीकार करने, अस्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

20. आवश्यकता होने पर वाहनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है तथा बिना कारण बताये वाहनों की संख्या में कमी करने का अधिकार नगर निगम कोटा दक्षिण को रहेगा।

21. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कोटा होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए आवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।

22. किसी भी विवाद में आयुक्त महोदय नगर निगम कोटा दक्षिण का निर्णय मान्य होगा।

23. मेला परिसर में अधिक भीड होने की स्थिति में उस अवधि के लिए ई–रिक्शा बन्द कराने का अधिकार निगम का होगा।

हस्ताक्षर आवेदक

अति0 आयुक्त एवं मेला अधिकारी
नगर निगम कोटा दक्षिण

अति· आयुक्त एवं मेला अधिकारी
नगर निगम कोटा दक्षिण